उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1397 / जबलपुर, दिनांक 16/03/2018

श्री रामलाल काछी, सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सहायक ग्रेड तीन के पद पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्र. सी–3–12/2011/3/एक भोपाल, दिनांक 03.09.2011 के कंडिका 8 में निहित निम्न शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. संविदा सेवा में नियुक्ति के लिए अवधि एक वर्ष होगी।
2. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन देय होंगा।
3. एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी। इस संविदा वेतन पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
4. पेंशन प्रथक से प्राप्त करने की पात्रता होंगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होंगी।
5. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के आवंटन/अधिपत्य की पात्रता नहीं होंगी, उन्हें केवल पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता देय होंगा। संविदा नियुक्ति के समय यदि उसके नाम से शासकीय आवास आवंटित होगा या अधिपत्य में होंगा तो उसे शासकीय आवास रिक्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही संविदा नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
7. अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होंगी।
8. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होंगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे।
10. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 45 दिन तक प्रभावशील होंगा। इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार
15.3.18
(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1398 / जबलपुर, दिनांक 16/03/2018

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार, प्रशासन/न्यायिक–1,2 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

2. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. ज्वांइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार, ... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार .... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/अवकाश/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
12. श्री रामलाल काछी, सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, म.नं. 741, सिद्व बाबा वार्ड,राकेश किराना स्टोर्स के पास, रामलीला मैदान, लालमाटी, जबलपुर (म.प्र.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

12/3/18

(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)